



पत्र संख्या- 251/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-14.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 14.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना-पवई:- एक अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार****पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-***

दिनांक 13.07.25 को वादी उ0नि0 शिवसागर यादव थाना पवई आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1.राहुल बिन्द पुत्र धनपाल बिन्द निवासी हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पुत्र लल्लन निवासी भिरौली लच्छन थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को ग्राम मैगना नहर पटरी से समय करीब 08.25 बजे 01 अदद नाजायज कट्टा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-***राहुल बिन्द पुत्र धनपाल बिन्द निवासी हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़***

1.मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 275/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

अजीत कुमार पुत्र लल्लन निवासी भिरौली लच्छन थाना सरपतहा जनपद जौनपुर

मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 शिवसागर यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

02. उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

03. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

04. का0 अनुराग कुमार, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

05. का0 रजनीश कुमार शुक्ला, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

06. का0 शहबाज अहमद, थाना पवई, जनपद आजमगढ़



02.थाना-सरायमीर:-युवती के साथ मारपीट व छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.05.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 01. अंगद पुत्र अच्छेलाल,निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 02. मिथलेश पुत्र सूरजबली निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 03. सोनूराम पुत्र सुरेश राम निवासी मीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर आकर वादिनी की नाबालिक पुत्री तीनों पकड़कर गाली-गुप्ता व मारने पीटने लगे तथा उसका कपड़ा भी फाड़ दिया तथा हाथ पकड़कर घसीटने व तीनों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर 196/25 धारा 76/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 14.07.2025 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंगद पुत्र अच्छेलाल,निवासी ग्राम कोल्हुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के गाँव ग्राम कोल्हुआ से समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 76/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 का0 मुन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।



03.थाना-रानी की सराय:- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.07.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्त सर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को अपने प्रेम जाल से फसा कर शादी करने का झांसा देकर जबरन शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया, तथा बाद में शादी करने से मना कर दिया तथा धमकी दिया कि घटना का जिक्र कही करोगी तो बुरा होगा। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 69/89/352/351(3) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 13.07.2025 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वांक्षित अभियुक्त सर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को ग्राम खैरपुर जगजीवन नहर पुलिया के पास समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 215/2025 धारा 69/89/352/351(3) BNS थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सर्वेश पुत्र लालसा निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
02. का0 धीरज पटेल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़



04.थाना-पवई:- चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त चोरी के एक अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 04.06.25 को आवेदक/वादी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पुत्र सूर्यमणी त्रिपाठी निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के द्वारा आनलाईन ई एफआईआर पंजीकृत कराया गया जिसमें उनके घर के बरामदे से अज्ञात चोर द्वारा मोबाइल चोरी कर लेने सम्बन्धी आरोप अंकित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना CEIR पोर्टल से प्राप्त ट्रेसबिलिटी रिपोर्ट, सब्सक्राइबर डिटेल व फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी/साक्ष्य संकलन के आधार पर 1. पुनीत कुमार पुत्र समारु राम निवासी सुरिस थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2. अर्जुन साहनी पुत्र देनी साहनी निवासी ग्राम विशुन पुर पट्टी थाना साहेबगंज जनपद मुजफ्फरपुर राज्य बिहार का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त पुनीत कुमार को दिनांक 02.07.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं आज दिनांक 14.07.25 को अभियुक्त अर्जुन साहनी उपरोक्त की गिरफ्तारी की गयी एवं अभियुक्त अर्जुन साहनी के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 की बरामदगी की गयी एवं धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.07.25 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अर्जुन साहनी पुत्र देनी साहनी निवासी ग्राम विशुन पुर पट्टी थाना साहेबगंज जनपद मुजफ्फरपुर राज्य बिहार को ग्राम खेमीपुर नहर पट्टी के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 को बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़

बरामदगी विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रेडमी 9 को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली थाना पवई की टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना पवई आजमगढ़
2. का0 अशफाक अंसारी थाना पवई आजमगढ़
3. का0 विकास कुमार थाना पवई आजमगढ़

